सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

पीठासीन अधिकारी :— शिवराज मीणा, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी)

वाद संख्याः— 251 / प्रा0पत्र / 2020 दायरा दिनांक :— 30.09.2020

GCMS ID—2020 / 00186

1. केसरीलाल आ0 मन्ना बैरवा जाति बैरवा निवासी नया बहादुरपुरा ग्राम पंचायत चेंता तह0 हिण्डोली।

प्रार्थी

बनाम

1. रामकिशन आ0 गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
2. रामेश्वर आ0 गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
3. जानकी बाई पत्नी गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
4. रामप्यारी पुत्री गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
5. प्रेमबाई पुत्री गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
6. लक्ष्माबाई पुत्री गणेशलाल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
7. मंगला आ0 गोकुल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
8. छोटू आ0 गोकुल जाति कुमावत निवासी बोरखण्डी तह0 हिण्डोली जिला बून्दी।
9. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बून्दी राज0।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र :— राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 251 (क) के तहत

वकील प्रार्थी :— श्री शम्भूदयाल शर्मा

वकील अप्रार्थीगण :— एक पक्षीय कार्यवाही

दिनांक :— 27 / 03 / 2025

निर्णय

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि कृषि भूमि खसरा संख्या 460 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा, 461 रकबा 7 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 10 बीघा 18 बिस्वा वाके ग्राम बीचडी तहसील हिण्डोली ज़िला बून्दी में स्थित भूमि की जमाबंदी संलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 में वर्णित भूमि के सहखातेदारान ने आपसी रजाबंदी व सहमति से मौके पर हिस्से कर रखे है उक्त भूमि के अन्य सहखातेदार ग्राम बीचडी की भूमि खाता संख्या 99 की भूमि पर व खसरा संख्या 460 पर काश्त कर रहे है व प्रार्थी खसरा संख्या 461 की भूमि पर काश्त कर रहा है भूमि के सहखातेदारों ने वर्षो पूर्व मौखिक बंटवारा

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

कर खसरा संख्या 461 प्रार्थी के हिस्से, बंटवारे में दे दी थी तभी से प्रार्थी खसरा संख्या 461 पर काबिज चला आ रहा है। खसरा संख्या 461 पर प्रार्थी मकान बनाकर परिवार सहित निवास कर रहा है तथा भूमि पर काश्त कर अपने परिवार का गुजर बसर कर रहा है प्रार्थी ने गलत 30 वर्षो से इसी भूमि पर मकान बना रखा है व कुआ खुदवा रखा है तथा सिंचाई वास्ते दो बोरिंग करवा रखे तथा विद्युत कनेक्शन ले रखा है। प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 461 छोर पर है जिस पर आने जाने का रास्ता ग्राम अशोक नगर फेक्टरी से कालाभाटा जाने वाली सडक से गुढा बांध की नहर के बीड का फाल के पास से उतरी साइड पर अर्थात बीड का फाल से उतरी साइड में खसरा संख्या 601 में होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 461 पर आने जाने का गत 50 वर्षो से भी अधिक अवधि से रास्ता बना हुआ जो चालू है जिसके फोटो ग्राफ्स संलग्न है प्रार्थना पत्र है। गुढाबांध की नहर के बीड का फाल से उत्तरी साइड पर सिंचाई का धोरा बना हुआ है उक्त सिंचाई का धोरा प्रार्थी की भूमि पर व अन्य खातेदार अप्रार्थीगण की भूमि पर होकर आगे जाता है और उक्त धोरे के सहारे ही प्रार्थी की भूमि पर जाने का रास्ता विद्यमान है। बीड का फाल की उतरी साइड पर खसरा संख्या 601 में होकर प्रार्थी की भूमि खसरा संख्या 461 पर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते से प्रार्थी अपनी भूमि की हंकाई जुताई व कृषि उपज लाने ले जाने हेतु ट्रेक्टर, बेल गाडी, इसी रास्ते से लाते ले जाते थे, लेकिन उक्त रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदार भूमि खसरा संख्या 601 में बना हुआ होने से अप्रार्थीगण ने बदनीयती पूर्वक रास्ते को हांक कर अपने खेत में मिला लिया। वर्तमान में केवल 4—5 फीट चोडा ही रास्ता मौके पर मौजूद है। प्रार्थी की भूमि पर बीड के फाल से खसरा संख्या 601 में होकर आने जाने हेतु बने हुए रास्ते के मुहाने पर नहर के पास फाटक लगी हुई है जिस पर होकर प्रार्थीगण अपनी भूमि पर आ जा रहे है। प्रार्थी खसरा संख्या 601 में 12 फिट चोडा रास्ता अपनी खातेदारी भूमि खसरा संख्या 461 तक चाहता है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु वर्षो से खसरा संख्या 601 में बना हुआ है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने हेतु वर्षो से खसरा संख्या 601 में बना हुआ रास्ता अप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में होने से अप्रार्थीगण ने कुछ समय पूर्व कुछ रास्ते को हांक कर खेत में मिला लिया है। प्रार्थी के विरोध के कारण अप्रार्थीगण पूरे रास्ते को नष्ट नही कर पाये है लेकिन अप्रार्थीगण, प्रार्थी के रास्ते में आवाजाही में दखलंदाजी करने लग गये है और रास्ते पर लगी फाटक को हटाने व मौके पर बने रास्ते को बंद करने की धमकियां दे रहे है ऐसी स्थिति में प्रार्थी के पास खसरा संख्या 601 में 12 फिट चौडे रास्ते की घोषणा करवाने के अलावा अन्य कोई विकल्प शेष नहीं है। प्रार्थी बीड की फाल से खसरा संख्या 461 तक अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 601 में नजरी नक्शे में अंकितानुसार 12 फिट चौडे की घोषणा करवाना चाहता है और रास्ते में अवाप्त भूमि की प्रतिकर राशि नियमानुसार न्यायालय में जमा करवाना चाहता है। प्रार्थी को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थी खसरा संख्या 601 में नहर के धोरे के सहारे 12 फिट चोडे रास्ते की घोषणा करवावे एवं रास्ते में अवाप्त रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम करवावे व जमाबंदी में रास्ता दर्ज करवाकर रास्ते की नक्शे में लाल स्याही से तरमीम करवावे। अप्रार्थीगण ने दिनांक 05.09.2020 को खसर संख्या 601 में बने रास्ते पर से निकलने में अवरोध पैदा करने तथा फाटक व रास्ते को बंद करने व धोरे के सहारे बने रास्ते को नष्ट करने से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुती का कारण उत्पन्न हुआ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बूंदी

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

है। श्रीमान को उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थी के रास्ते में अवाप्त की जाने वाली भूमि की राशि नियमानुसार जमा कराने को तैयार है। प्रार्थी की भूमि पर आने जाने के लिए रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थी गत 50 वर्षो से इसी रास्ते का उपयोग करता आ रहा है इस कारण भी प्रार्थी को खसरा संख्या 601 में रास्ता घोषित करवाने का अधिकार हे। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क एवं तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 461 पर आने जाने हेतु बीड के फाल से उतर दिशा में खसरा संख्या 601 से 12 फिट चौडा रास्ता खसरा संख्या 461 तक रास्ता घोषित किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज किया जावे व रास्ते में अवाप्त रकबा अप्रार्थीगण के खाते में से कम किया जाकर रास्ते की नक्शे में लाल स्याही से तरमीम के आदेश प्रदान करने की कृपा करें। प्रार्थी आदेशानुसार प्रतिकर राशि जमा कराने को तत्पर है रास्ते की भूमि पर प्रार्थी को रास्ते का कब्जा सुपुर्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 8 को बाद तामिल पर्याप्त अवसर दिए जाने पर भी जबाव पेश नहीं करने पर उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। अप्रार्थी संख्या 9 की ओर से नायब तहसीलदार दबलाना ने पत्रांक :–राजस्व/25/02 दिनांक :–07.01.2025 से प्रस्तावित रास्ते के बाबत जॉच रिपोर्ट पेश की जो शामिल मिसल है।

हमने प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी की बहस सुनी जाकर बहस के दौरान प्रस्तुत तर्को पर मनन किया। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस कहा कि प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि ग्राम बीचडी के खसरा संख्या 461 जो कि प्रार्थी को मौखिक बंटवारे में प्राप्त हुई है, में आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 601 में से 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में घोषित किया जावे। इस बाबत तहसीलदार हिण्डोली द्वारा जो प्रस्तावित रास्ता बताया गया है उसकी घोषणा की जावे। प्रार्थी इस बाबत राशि जमा कराने को तैयार है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार फरमाया।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन कर ध्यानपूर्वक मनन किया गया। प्रकरण मे तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि में आने जाने हेतु खसरा संख्या 601 में से रास्ता चाहा है जो कि अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है में से 12 फीट चौडा रास्ता प्रस्तावित किया गया है। चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण की आंत्यतिक आवश्यकता है व उक्त प्रस्तावित रास्ता लघुत्तम है।

–: क्रियात्मक आदेश :–

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर प्रार्थी को अपनी सहखातेदारी भूमि खाता खसरा संख्या 461 वाके ग्राम बीचडी पटवार मण्डल चेंता में आने–जाने हेतु नायब

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी

Email- sdohindoli@gmail.com Phone no-7436276446

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

तहसीलदार दबलाना से प्राप्त प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट अनुसार ग्राम बीचडी के खसरा नम्बर 601 जो कि अप्रार्थीगण के खाते में दर्ज है जिसमें से 240 फीट लम्बा व 12 फीट चौडे रास्ते में कुल (0.0323 हैक्टेयर) भूमि काम में आवेगी। प्रस्तावित नक्शे अनुसार रास्ता घोषित किया जाता है। प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि की डीएलसी राशि 1740000/रू– प्रति हैक्टेयर है जिसमें से प्रस्तावित रास्ते में आने वाली भूमि खसरा संख्या 601 में से रकबा 0.0323 हैक्टेयर भूमि की डी0एल0सी0 राशि 56202/रू– जिसकी दुगनी प्रतिकर राशि 112404/रू– का भुगतान सम्बन्धित अप्रार्थी खातेदारान को करने उपरान्त निर्णय की पालना हेतु नायब तहसीलदार दबलाना को तहरीर जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफत्र हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक :– 27.03.2025 को सरे इजलास खुलेआम सुनाया गया।

27/03/2025

(शिवराज मीणा)
आर0ए0एस
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी (राज.)